1	2	3	4
23. अण्डेमान और निकोबार द्वीप	0.01	0.002	0.002
24. अरुणाचल प्रदेश . .	0.01	0.008	0.008
25. चण्डीगढ़ . .	—	—	—
26. दादरा और नगर हवेली .	0.001	0.0004	0.004
27. देहली . . .	0.01	0.004	0.004
28. गोवा, दमन और दीव .	0.05	0.014	0.014
29. लक्ष्यद्वीप . .	0.01	0.005	0.005
30. मिजोरम . .	0.01	0.002	0.002
31. पांडिचेरी . .	0.19	0.123	0.115
भारत . .	32.237	20.3924	15.7504

चासनाला खान दुर्घटना में मरे मजदूरों के परिवारों को अदा किया गया मुआवजा

5259. **श्री हरिकेश बहादुर :**
श्री पी० एस० रामलिंगम :

क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चासनाला खान दुर्घटना में मरे मजदूरों के परिवारों को मुआवजा अदा किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने परिवारों को मुआवजा अदा किया गया है और कुल कितनी धनराशि दी गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 500 रुपये प्रतिमाह तक वेतन प्राप्त करने वाले 93 श्रमिकों के आश्रितों को, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन 1976 में इसमें किये गये संशोधन से पहले मुआवजे की दरों के अनुसार उनकी देय राशि का भुगतान कर दिया गया है। 500 रुपये से 1000 रुपये प्रतिमास पाने वाले 270 मृतक श्रमिक पहले कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन नहीं आते थे। फिर भी, इन श्रमिकों के आश्रितों को प्रति श्रमिक 10,000 रुपये की दर से अनुग्रह पूर्वक अदायगी भी की जा चुकी है।

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन मजूरी सीमा को 500.00 रुपये से 1000.00 रुपये तक कर्मकार प्रतिकर संशोधन अधिनियम द्वारा पूर्व व्यापी तारीख 1-10-1975 से बढ़ा दिया गया है। अधिनियम के अधीन मुआवजे की दर को भी उसी तारीख से बढ़ा दिया गया है। फलस्वरूप, 500 रुपये प्रतिमास तक पाने वाले श्रमिकों के आश्रित मुआवजे की पुरानी दरों और नई दरों के बीच अन्तर की बकाया राशि पाने के हकदार हो गए हैं। 501 रुपये से 1000 रुपये प्रतिमास मजूरी पाने वाले श्रमिकों के आश्रित अधिनियम के अधीन मुआवजे के भी पात्र हैं।

यह बताया गया है कि नियोजक ने 500 रुपये प्रतिमास तक मजूरी पाने वाले श्रमिकों के देय मुआवजे के अन्तर की पूरी राशि और 501 रुपये से 1000 रुपये प्रतिमास मजूरी पाने वाले श्रमिकों की देय मुआवजे की राशि को अनुग्रह पूर्वक अदायगी की राशि घटाकर पहले ही जमा करा दिया है। नियोजक द्वारा काटी गई अनुग्रह पूर्वक अदायगी की राशि की वसूली आश्रितों के मुआवजे के भुगतान के सम्बन्ध में आगे की कार्रवाई संबंधित कर्मकार प्रतिकर आयुक्त द्वारा की जा रही है।

Payment of Special Allowance to Head Sorters, Railway Mail Service

5260. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the head sorters working in the Railway Mail Service are given special allowance whereas the S.R.Cs. are not paid this allowance whereas their work load is more than that of the head sorters and they are also senior officers to them; and

(b) if so, the steps taken by Government to remove the anomaly in this regard?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) No, Sir. All time-scale Head Sorters and Sub-record Clerks in the R.M.S. get special pay. They also get special pay when they are in the lower Selection Grade, provided they supervise another official of the same grade in their own office.

(b) Does not arise.

Policy for Telephone Connections

5261. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether a sum of Rs. 1,200/- is demanded as advance from telephone subscribers for providing telephone connection;

(b) whether telephone connection is not provided for a long time, sometimes after one year, even after taking the above advance money; and

(c) if so, whether a definite policy will be laid down in this regard so as to ensure that people wanting telephone connections get them early?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) No, Sir. the advance deposit in the larger telephone systems is Rs. 1,000/- for non-OYT applicants and Rs. 5,000/- in case of OYT applicants. In smaller systems, the advance deposit is less..

(b) and (c) Advance deposit is taken from all applicants at the time of registration of the applications. Applicants have to wait for telephones till capacity becomes available which in some exchange areas might take more than a year. To meet the demand, the capacities of the telephone exchange systems are being expanded on a continuing basis, to the extent possible, within the available resources.

आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बिया कालिज, नई दिल्ली में कुप्रबन्ध

5262. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :**
श्री रामलाल राही :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बिया कालेज, दिल्ली के कुप्रबन्ध के बारे में बहुत सी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं जिनमें छात्रों को होने वाली कठिनाइयों तथा दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा इस कालेज की सम्बद्धता समाप्त किए जाने की बात कही गई है ;

(ख) क्या इस कालेज के संचालन के लिए केन्द्रीय सरकार शत प्रतिशत अनुदान देती है ;

(ग) क्या कालेज के कुप्रबन्ध तथा प्राप्त सरकारी अनुदान एवं सहायता के दुरुपयोग के कारण कालेज का सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने के बारे में कालेज के छात्रसंघ की ओर से एक अभ्यावेदन भी प्राप्त हुआ है ; और